12.22 hrs.

Title: Regarding authenticity of a document quoted during the debate on Disinvestment in Public Sector Undertakings.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, with great humility, through you, I would like to inform the House that there was a late night debate on disinvestment the other day on 23rd August. What I spoke and what the Minister spoke is part of the proceedings. There is no question of denial from my side or the side of the Government. Sir, I did say in the debate that if my document was proved to be wrong, I was prepared to apologise and if it was proved to be correct, the Minister should apologise. I further said that you could refer it to CBI. Later I also said that I had just checked up the Practice and Procedure of Parliament and possibly, it was the property of the House, to be referred to the Speaker. I am not worried, I am not bothered about what happens, but to discharge my parliamentary obligation in the House, I would submit that immediately after that debate, by outside utterances, the responsible Minister accused the distinguished Members, including me and others, as ass, as clown. These are the things. This is shocking not to me individually but to the very dignity of the House and the Members.

Sir, therefore, I strongly feel and plead before you. Mr. Speaker Sir, though I stand by my view, what I said in the House and I do not like to deviate from that, you are to decide in what manner it should be found out, but this is not the way to drag Members and their dignity outside in such a manner by the distinguished Minister, who possibly is a late entry into politics.

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि उस दिन में यहां मौजूद नहीं था जिस दिन श्री प्रियरंजन दास मुंशी जी ने अपनी बात कही थी और उस पर हमारे मित्र श्री अरूण शौरी जी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। लेकिन कुछ बुनियादी सवाल हैं जिन पर सदन का और आपका ध्यान खींचना मैं जरूरी समझता हूं। यह पहली बार होगा कि सदन की कार्यवाही के लिए सीबीआई को मामला भेजना और वह भी स्वयं मंत्री महोदय भेज दें। सदन में जो भी कार्रवाई होती है वह सदन की सम्पत्ति होती है और उस पर अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी बाहरी एजेंसी को आदेश देने का अधिकार किसी मंत्री महोदय को नहीं होता।

दूसरी बात है कि जो पत्र लिखा गया है या कहा जाता है कि लिखा गया है, उस पर लिखा है " सीक्रेट" । एक गोपनीय पत्र जो कोई कैबिनेट सैक्रेट्री अपने प्रिन्सिपल सैक्रेट्री को लिखता है तो जितना थोड़ा बहुत मैं जानता हूं सरकार की कार्यवाही के बारे में, कोई मंत्री चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसकी प्रसिद्धि कितनी ही क्यों न हो, उसको सीधे उससे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है क्योंकि अगर गोपनीय पत्र है तो वह यही जवाब देगा कि इस पत्र को मैंने नहीं लिखा है। इसके अलावा कोई दूसरा जवाब वह नहीं दे सकता है। किसी मंत्री को यह अधिकार नहीं होता है कि प्रिन्सिपल सैक्रेट्री को या प्राइम-मिनिस्टर को अगर कैबिनेट सैक्रेट्री ने कोई खत लिखा है तो सीधे उससे जाकर पूछे। मैं नहीं जानता कि कौनसी नयी परम्परा इस सरकार में बनी हुई है।

दूसरी बात यह है अगर हमारे मंत्री महोदय को इतना बुरा लगा और उसी में दासमुंशी जी ने एक और सवाल उठाया कि किसी उद्योगपति के विरूद्ध फेरा का केस है तो वह उस पर मौन क्यों रह गए? मैं एक सवाल यह जानना चाहता हूं कि क्या आपसे अनुमति ली गई कि सीबीआई को यह मामला सौंपा जाए? जैसे किसी बच्चे के हाथ का खिलौना हो, जब कोई मंत्री उठे और सीबीआई को कोई मामला भेज दे, ऐसे में सदन और आपके अध्यक्ष पद की गरिमा को कौन बचाएगा? मैं एक बात यह जानना चाहता हूं कि सीबीआई का डायरैक्टर क्या कैबिनेट सैक्रेटरी से पूछताछ कर सकता है? मैं डायरैक्टर की बात करता हूं, इनवैस्टिगेशन ऑफिसर की बात नहीं करता हूं। डायरैक्टर को यह अधिकार नहीं है, अगर अधिकार भी हो तो वह उस अधिकार का उपयोग नहीं करेगा। सामान्यतः सदन में इस तरह की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि मैं एक बार इसका भुक्तभोगी हो चुका हूं। इसी सदन में एक प्रधान मंत्री जी थे। एक सवाल उठा। उन्होंने तुरन्त कहा कि मैं सीबीआई को मामला भेज रहा हूं। मैंने उसी समय कहा कि प्रधान मंत्री जी इस तरह बर्ताव कर रहे हैं जैसे कोई बच्चा खिलौने के साथ बर्ताव करता है। मैंने कहा कि जहां तक मेरी बात है, मैं सीबीआई के सामने कोई बयान नहीं देने वाला और मैंने सीबीआई को बयान नहीं दिया। उसके अधिकारी गए। बाद में उन्होंने मेरा एक बयान बना कर फाइल में लगा दिया। वे बेचारे जानते नहीं थे कि कभी वह फाइल मेरे पास भी आएगी लेकिन यह चक्र संसदीय जनतंत्र का है जो निरन्तर घूमता रहता है। घूमते-घूमते वह फाइल एक दिन मेरे पास प्रश्न का जवाब देने के लिए आ गई। तीन पृठ का मेरा बयान उसमें लिखा था। मैंने कैबिनेट सैक्रेटरी को बुला कर कहा कि कहीं के थानेदार, दरोगा जी हैं या जाइंट डायरैक्टर सीबीआई के हैं, उनको उसका फल भुगतना पड़ा। मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। वह मामला प्रिवलेज कमेटी को गया जिसके अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी थे। यदि आप समझते हैं कि मामला संगीन है, प्रिवलेज कमेटी को भेजिए। वहां मंत्री महोदय भी आएं, दासमुंशी जी भी आएं और कैबिनेट सैक्रेटरी भी आएं। मैं कहना नहीं चाहता, मुझ से प्रधानमंत्री कार्यालय के उत्तरदायी लोगों ने इनडायरैक्ट, मैं फिर कहता हूं, यह कहा कि वह पत्र सही है, उसमें कोई गलती नहीं है लेकिन मैं इसमें गलती नहीं मानता अगर कैबिनेट सैक्रेटरी ने कहा है कि वह पत्र मैंने नहीं लिखा। गोपनीय पत्र को कैबिनेट सैक्रेटरी किसी मिनिस्टर या किसी दूसरे आदमी पर जाहिर नहीं कर सकता लेकिन हमारे मित्र विनिवेश मंत्री को क्या देश की जागीर बेचने और किसी के ऊपर आरोप लगाने का अधिकार है ? उन्होंने कहा कि जिस तरह का खत लिखा गया कोई कैबिनेट सैक्रेटरी को उस तरह का खत नहीं लिखता। मुझे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए जब से ज्यादा अंग्रेजी जानने वाले लोग आ गए, मैं हिन्दी में ही बोलता हूं कि कहीं गलती न हो जाए लेकिन मुझे नहीं मालूम, उस खत में क्या गलती है? मैं थोड़ी बहुत जो अंग्रेजी पढ़ा हूं, खत में कोई गलती नहीं है, अगर किसी वाक्य या किसी शब्द से उसका दुरुपयोग हुआ है तो जिस शब्द पर उन्होंने आपत्ति की है, उसी तरह का एक शब्द हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक माननीय सदस्य के खत में भी लिखा है। मैं नहीं जानता â€¦ (व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : आप हमारा पत्र भी पढ़ते हैं?

श्री चन्द्रशेखर : हमें पत्र पढ़ाया जाता है। मैं किसी का पत्र नहीं पढ़ता लेकिन अगर पढ़ाया जाता है तो मजबूरन पढ़ना पड़ता है। आज आपके मंत्री महोदय अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं लेकिन अंग्रेजी न जानने वाले को भी अपनी बात कहने का अधिकार है चाहे वह मंत्री हो, चाहे सदस्य हो, चाहे नौकरशाही का कोई व्यक्ति हो, मैं समझता हूं कि हमारे अनेक अधिकारी ऐसे हैं अगर हम गलती करते हैं तो उस गलती की ओर संकेत करते हैं। इसमें न उनका अपराध है और न किसी मंत्री महोदय की अ वमानना है। यदि ऐसे चलने लगा तो ठीक नहीं होगा। कई बार उद्धरण दिए जाते हैं और समितियों के बारे में उनकी यह-यह टिप्पणी है, कमेटी की रिपोर्ट में बाहरी पूंजीपतियों के दस्तवेजों का उद्धरण दिया जाता है। यदि मैं प्रधान मंत्री जी से कहूं कि सरकार की अनेक नीतियों में ऐसे उद्धरण दिए जाते हैं जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के डाक्यूमैंट्स हैं तो क्या यह मान लूं कि यह सरकार उसकी गुलाम है? यह नहीं हो सकता। जैसे मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो किसी अंग्रेजी दां की अंग्रेजी अगर मुझे अच्छी लग जाए और जो मेरे भाव को भी प्रकट करती हो तो उसमें कोई गलती दिखाई नहीं पड़ती। इस तरह की आपत्तियां उठाई जाती हैं। जिस तरह से, अब ड्रामा शब्द पर आपत्ति की जाएगी, जो अभिनय किया गया, एक सदस्य बोलता है, तुरन्त मंत्री महोदय उठ कर जाते हैं, किसी एक अधिकारी को कहते हैं, आकर उनसे बात करते हैं. जैसे कोई ड्रामा रचा जा रहा हो -

क्या वे चुप नहीं रह सकते थे? ऐसा मालूम होता है जैसे श्री दासमुंशी ने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। मान लीजिये. अगर वह पत्र गलत भी हो.....(*Interruptions*)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उन्होंने अपराध किया है।

श्री चन्द्रशेखर : लेकिन मैं कहता हूं कि इससे बड़ा अपराध नहीं होगा...

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, I have committed no crime.

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं होगा कि कोई मंत्री सदन की मर्यादा का उल्लंघन करे। यह सब से बड़ा अपराध है कि ऐसा उन्होंने न केवल एक माननीय सदस्य के बारे में कहा बल्कि उन्होंने समितियों के बारे में जो टिप्पणी की है। उन्होंने टी.वी. पर जाकर जो कहा, वह अपराध नहीं क्योंकि वे मंत्री हैं और मंत्री होने से कोई महान् नहीं हो जाता है। मैंने बहुत से मंत्रियों को आते-जाते देखा है। मैं भी थोड़ा उनके सम्पर्क में रहा हूं। मैंने प्रधानमंत्री में यह रोा नहीं देखा लेकिन आज के विनिवेश मंत्री मे हैं। प्रधानमंत्री जी ज़रा इनको सबक सिखायें, कुछ शिटाचार सिखायें कि वे कुछ विनम्रता से किसी बात को बोलना सीखें और कुछ सहन करना सीखें।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, with your kind permission and Shri Chandra Chekharji's permission, may I speak in English? I would like to speak in Hindi but the House is so important that I do not want to practice my *tooti-phooti* Hindi here. I am ashamed of it; I am not proud of it.

Mr. Speaker, Sir, the matter is of extreme importance. Atalji, the Prime Minister, is fully acquainted, I am sure much more than I, with the traditions in the House. Should a Member be sort of indicted almost as having committed a crime and should the matter be referred to CBI forthwith for investigation into the conduct of that Member, that too his conduct inside the House? We have been zealously guarding our rights. That is why the Privileges Committee had been constituted, and now we have got the Ethics Committee also. I am sure nobody can compel our hon. friend here to reply to CBI on what he had said inside the House. He is answerable to you, Sir, and through you to the Members of the House. What sort of tradition are we going to set now?

On that evening itself I said to some of our friends in the Press that this was a matter which ought to be taken up in the Privileges Committee because it had happened inside the House. I am not going into the merits of this. My distinguished and hon. friend, Chandra Shekharji has personal experience of how things happen. You have found out how reporting is done. Therefore, I very sincerely request all the hon. Members here not to try to score debating points, or try to put some hon. Member in trouble by treating him as a criminal so that CBI, or some other investigating agency, should have to be set after a Member and he has to explain that he has not committed any crime. This is a very serious matter. It affects the traditions of the House. It interferes with the proper functioning of the Members of the House. I request you, Sir, to kindly direct the Government to see that this matter is not investigated into until at least the Privileges Committee, or you, take a decision on as to whether CBI has to go into it or not.

Sir, what is very serious is that the next day papers quoting CBI sources said that it is a forged document. What is the object of this? In which matter CBI has come to a decision within ten hours of taking up a case? If at all there is something to report, it should have been reported to you first through the Minister. Now, an hon. Member has to say that the CBI is wrong and come in confrontation with the CBI! This is not the way to conduct ourselves in this House. Happily, the Prime Minister is here. I am sure he will understand and appreciate the feelings of the Members of the House. I do not know anything about the truth or otherwise of the matter. How can I, as an ordinary Member?

We have developed a system. We have got the rules. We have got the procedures. Let the conduct of a Member be decided here. So, I am requesting you, Sir. to kindly give the direction not to continue with that, and refer it to the Privileges Committee....(*Interruptions*)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय चंद्रशेखर जी ने, श्री सोमनाथ चटर्जी ने यहां प्रश्न उठाये हैं । यह बात ठीक है कि हाउस के प्रीविलेज के सारे मामले आपके ऊपर निर्भर करते हैं और आप ही उनका फैसला करें, परंतु यह जो बात कही जा रही है कि कोई लैटर ऑथन्टीकेट करके यहां नहीं रखा गया और उस समय खुद खड़े होकर श्री पी.आर.दासमुन्शी जी ने कहा कि इसकी सी.बी.आई. इंक्वायरी होनी चाहिए । कई मैम्बर्स ने हाउस में खड़े होकर कहा कि इसकी सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए । अब यह उसमें इस तरह से रिगल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं । कल हमने स्वयं टी.वी. पर देखा, श्री दासमुन्शी जी ने टी.वी. पर कहा कि यह पत्र बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल असली है, इसमें कोई गलत नहीं है और मैं कहता हूं कि यह पत्र पूरी तरह से जाली नहीं है । इसकी इंक्वायरी कौन करे, कोई पत्र हाउस में है ही नहीं, वह कोई ऑथन्टीकेट नहीं हुआ, आपके पास नहीं आया, आप प्रीविलेज को क्या चीज भेजेंगे । एक पत्र है जो उन्होंने सीधे आकर मिनिस्टर को दिया तो क्या मिनिस्टर इस बात का पता नहीं करेगा कि यह जाली है या असली है, क्या इसका सी.बी.आई. या किसी और एजेन्सी द्वारा पता नहीं करना चाहिए । इन्होंने खुद मांगा था, He should not have got up and said सी.बी.आई. से इंक्वायरी करो। When he asked for a CBI inquiry and the hon. Minister...(*Interruptions*)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : That letter is a part of the proceedings. You are misleading the House. I quoted the full letter. I read out that letter....(*Interruptions*)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : कोई भी पेपर जब यहां रखा जाता है तो चेयर की तरफ से पूछा जाता है कि क्या आप इसे ऑथन्टीकेट कर रहे हैं । श्री पी.आर.दासमुन्शी जी ने कहा कि मैं ऑथन्टीकेट नहीं कर रहा हूं । पहले उन्होंने कहा कि मैं ऑथन्टीकेट करता हूं और बाद में उन्होंने उसे विदड्रा कर लिया ।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I have not withdrawn. You are again misleading the House. I said that 'I am prepared to authenticate. Let me quote it.' Then I quoted it. Thereafter. When the Minister came to

me...(*Interruptions*)

SHRI KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): When he asked you to authenticate it, you said that you authenticate it....(*Interruptions*)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I said, "I am prepared to authenticate it."...(*Interruptions*)â€¦Nobody asked me to authenticate − neither from their side nor from the Chair. I quoted it and I said, "I am quoting the whole thing." The Minister came to my seat, took the copy and gave it to the officer sitting in the official gallery ....(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Priya Ranjan Dasmunsi, let him complete.â€¦ (*Interruptions*)

श्री चन्द्रशेखर : अगर कोई पत्र ही नहीं है तो आप मिनिस्टर साहब से किसकी जांच करवा रहे हैं ।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : चंद्रशेखर जी आप मेरा मजाक बनाइये, यह आपको अधिकार है, आप मेरा मजाक बना लें, हंसें और बाकी सबसे कह दें, आपको अधिकार है । मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, परन्तु पत्र तो है, पत्र उन्होंने मंत्री जी को स्वयं दिया है और यह कहा कि यह पत्र है और पत्र के बारे में मंत्री जी ने पता लगाया कि यह पत्र जाली है, तो इंक्वायरी कौन करेगा ? जब हाउस का मामला नहीं है, टी.वी. पर जाकर कांग्रेस के सब लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक पत्र दिया है । अगर कैबिनेट सैक्रेटरी का पत्र प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल प्राइवेट सैक्रेटरी को लिखा हुआ पत्र जाली है और अगर वह हाउस में मिनिस्टर को दिया जाता है, टी.वी. पर जाकर बताया जाता है तो कौन उसकी इंक्वायरी करेगा और उसकी इंक्वायरी करने से क्यों घबरा रहे हैं ?â€¦(व्यवधान) Why should they go against it? ...(*Interruptions*)â€¦Why should they wriggle out of it?...(*Interruptions*)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : What I did was under my rightsâ€¦ (*Interruptions*)â€¦What I believed to be genuine I produced....(*Interruptions*)â€¦You cannot say like this?...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Dr. Vijay Kumar Malhotra, please conclude now....(*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन की मर्यादा का प्रश्न हैâ€¦(व्यवधान) यह विशाधिकार हनन का मामला बनता है ।â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सदन को डिस्टर्ब मत करिये â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: This will not go on record....*(Interruptions) â€¦* *

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर मामला है । यह डिसइनवैस्टमैन्ट के खिलाफ हों या उसके हक में हों, यह अलग बात है, आपका अधिकार है। आप उसके खिलाफ हजार बातें कहें,

* Not Recorded

लेकिन कैबिनेट सैक्रेटरी की फर्जी चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सैक्रेटरी को लिखी जाए, उसके बाद वह सदन में रखी जाती है, सारे हिंदुस्तान को बताया जाता है, उसके बाद टी.वी. पर उसे जस्टीफाई किया जाता है तो इंक्वायरी कौन करे, कहां से इंक्वायरी होâ€¦(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हाउस इंक्वायरी करेगा ।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : आपने रखा ही नहीं है, यहां दिया ही नहीं हैं ।â€¦(व्यवधान)

कल को मैं कोई भी बात â€¦(व्यवधान) आज आप कह रहे हैं, चंद्रशेखर जी भी कह रहे हैं ।

सीबीआई इनक्वायरी हो, माननीय सदस्य ने खुद माँग की थी। He has asked for it and it is on the records. आप लोगों ने, कई माननीय सदस्यों ने खड़े होकर कहा था कि इसकी इनक्वायरी करिये। सीपीएम के लोग भी समर्थन में खड़े हुए थे कि सीबीआई इनक्वायरी कराएं। If he has said like that, then why should we wriggle it out now? बजाय इसके कि कांग्रेस पार्टी इस पर शर्मिन्दगी ज़ाहिर करे, बजाय इसके कि लज्जा प्रकट करे कि गलत काम हुआ है, वे इसको जस्टिफाइ कर रहे हैं। â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Today we have a very lengthy business. Shri Shivraj Patil....(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Today we have a very lengthy legislative business. Please understand that....(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record except what Shri Shivraj Patil says. Shri Shivraj Patil Ji, please be very very brief....*(Interruptions) â€¦**

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): Sir, this is a very important matter and I am thankful to you for giving me the floor. I will seek your indulgence for making a little more lengthy statement because the matter is important.

* Not Recorded

I would like to submit that I am a member of the Privileges Committee and if this matter is referred to the Privileges Committee, I will not work in the Privileges Committee and I will withdraw from it.

What has actually happened? The hon. Member comes to this House and he submits three documents. One of the documents was objected to. It is said that that document was a forged one. Then the Member got up and said that he had received the documents and that he had given the documents to the House. He further said that if it was proved that any of those documents or the document which was alleged to be a forged document is actually forged, then he would withdraw his allegation, withdraw his complaint and apologise. Is there any intention to mislead the House? â€¦ (*Interruptions*) There is no intention to mislead the House. On the contrary, before the decision is given, the Member offered to apologise. What has actually happened? The Minister got up and said that that kind of forged document was being submitted and let those who are reporting on this matter, take this matter also into account. He was appealing to the members of the Media to highlight that. Then he went outside the Parliament and spoke to the Media. He used intemperate language and I am not repeating the words which he used. He used intemperate language against his own colleagues in this House.

Sir, we were discussing the issue of disinvestment and while discussing the issue of disinvestment, if a member was taking a strong stand, the Minister said that he would refer that issue to the CBI. He cannot do it. If the matter is presented to this House, if it has become a matter of record, if the entire letter is read out and if it is allowed to be a part of the record, then it is for the hon. Speaker and the House to decide as to what is to be done.

Here under Article 105, a Member is given the privilege to make his statement or quote in any manner he likes. But as a member of the Executive, he was trying to terrify the hon. Member by saying that that matter would be referred to the CBI; the CBI would investigate into it; the CBI would question him and so, he should be careful in making the statement. Is this not like committing a breach of privilege of the Members to speak freely and without fear on the floor of the House? This is the biggest issue. I am making a very humble submission. ...(*Interruptions*)

Sir, this matter is pertinent not only to the Member sitting on this side of the House, but this is a matter pertinent to all the hon. Members sitting in the House. This matter should be decided either by the Presiding Officer or by the Committee or by the entire House as such. If this is done, the Members would find it very difficult; there may be strong Members who will not care for anything; but there will be weak Members who would not like to get themselves into trouble and would not like to submit themselves to the investigation or inquiry by the CBI or the police officer. In this fashion, their right to make statements on the floor of the House without fear or favour will be breached.

That is why I am making a very humble suggestion that this matter should be properly looked into in order to see that this House discharges its Parliamentary duty in a proper fashion.

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने खुद सी.बी.आई. की इन्क्वायरी कराने की मांग की है।â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: We are making an effort to sort out the issue.... (*Interruptions*)

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत विनम्रता से निवेदन किया था कि क्या इस संसद के सदस्य यह चाहते हैं कि जितने पत्र हम लोगों के पास आएं उनको हम सदन में रखें या अखबारों को दें?

अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत से पत्र आपके पास भेजे हैं और मैंने आपको यह भी बता दिया है कि वे पत्र किस सिलसिले में हैं। मैंने देश की मर्यादा, संसद की मर्यादा और सरकार की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, उनको कभी अखबारों को नहीं दिया। यह कहा जाता है कि डर रहे हैं सी.बी.आई. से। अगर यह डर होता, तो मैं अध्यक्ष महोदय को, राट्रपति महोदय को कागजात भेजने से पहले इस सदन में कागज भेज देता।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि हर आदमी इन लोगों से डर रहा है, हर आदमी सी.बी.आई. से डर रहा है, हर आदमी सरकार से डर रहा है। यह क्या बनाना चाहते हैं इस देश को ? अगर इस तरह की भााा का इस्तेमाल किया गया, तो हम बताएंगे कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, यह इन्क्वायरी किसी मैम्बर के खिलाफ नहीं है। The inquiry is only to find out the genuineness of the letter. It is not against an individual....(*Interruptions*)

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Who is he to answer it? Let the Government answer it....(*Interruptions*)

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, कैबिनेट सैक्रेट्री के द्वारा लिखा हुआ लैटर जाली है या नहीं, यह मामला काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब यह मामला हाउस में उठा है, तो इस मामले में दखल देने के लिए, खासतौर से अपना फायनल डिसीजन देने के मामले में, माननीय अध्यक्ष जी, आपको पहल करनी होगी। दुख की बात यह है कि ऐसे मामले में कैबीनेट मिनिस्टर किसी पत्र को सीधे सी.बी.आई. को भेज दें, इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बहुजन समाजवादी पार्टी की यह राय है कि यह मामला प्रिवलेज कमेटी को भेजना चाहिए और प्रिवलेज कमेटी तय करे कि जांच कौन करेगा। मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा। अगर हर कैबिनेट मिनिस्टर, सीधा मामला सी.बी.आई. को दे दे, तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं होगा और उससे हाउस की गरिमा को चोट पहुंचेगी। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस मामले में आप खुद दखल दें और अपना फैसला दें ताकि इस मामले का कोई निपटारा हो सके।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष जी, संसद में जब भी किसी विाय पर बहस होती है, तो स्वाभाविक रूप से सदस्यों का अधिकार है कि वे अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार उसका विवेचन करें। ऐसा करते समय बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई पत्र मिलता है,

डाक्यूमेंट मिलता है, हम जितनी अपनी संभावना हो, उसके अनुसार उसकी जांच करते हैं क्योंकि सदस्यों के पास तो कोई इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं होती कि जिसके अन्तर्गत वे उसकी पूरी जांच करके शत-प्रतिशत उसके बारे में कहें। वह जांच करने के पश्चात् सदस्य उस मुद्दे को, उस पत्र को, किसी डाक्यूमेंट को सदन में उद्धृत करते हैं या उसको आथेंटिकेट कर के सदन के पटल पर रखते हैं।

वैसे मेरी छोटी सी राय में उद्धरण करना और औथैन्टीकेट करके टेबल पर रखना एक ही बात है क्योंकि अगर आपने पत्र पढ़ दिया तो It is as good as authenticated because you believe in it. लेकिन जब कभी इस पत्र पर आगे बहस होती है और अगर पत्र गलत निकलता है तो हम समझते हैं कि यह पत्र गलत था, सही था, इसकी जांच संसद की ही किसी समिति को, विशेाधिकार समिति हो, अध्यक्ष हों या और कोई समिति हो, उसी को इसकी जांच करनी चाहिए, किसी बाहर की संस्था से, संसद के अन्तर्गत जो भााण किया हो, संसद के अन्तर्गत जो डौक्यूमैंट दिया हो, संसद के अन्तर्गत पत्र या कोई भी चीज रखी हो, जो भी संसद के अंदर घटा हो, उसकी जांच बाहर के किसी व्यक्ति से कराएं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कल जो घटना हुई, उसके संबंध में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब सदन की राय यह बनी है कि पत्र विवादास्पद है, इस समय मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वह विवादास्पद है क्योंकि प्रियरंजन जी को अभी भी लगता है कि वह पत्र सही है, सरकार को लगता है कि वह पत्र गलत है, तो स्वाभाविक रूप से वह विवादास्पद है। क्योंकि वह पत्र सदन में आया है, उसकी जांच आप विशेाधिकार समिति से करवाइए। मैं विवाद में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं पूरे समय नहीं था, थोड़े समय था। जहां भी सी.बी.आई. की बात होती है, जैसे चन्द्र शेखर जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि सी.बी.आई. को खिलौने की तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वह खिलौना इस सदन में या सदन के बाहर इतनी बार मांगा जाता है, हर सदस्य उस खिलौने को हमेशा मांगता है। जब उसे यह सुविधा होती है, वह कहता है कि इसे सी.बी.आई. को भेज दें। खिलौना भेजने का अधिकार कम लोगों के पास होता है लेकिन खिलौना मांगने का अधिकार तो बहुत लोगों के पास होता है। सदन में इसे सी.बी.आई. में भेजने की नौबत इसलिए आई कि तू-तू, मैं-मैं में सदन में यह कहा गया कि इसे सी.बी.आई. को भेज दीजिए। अध्यक्ष जी एक बार जो भी निर्णय करें, सरकार उस निर्णय से बंधी हुई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत दिनों बाद आपने सही बात बोली है।

श्री प्रमोद महाजन : दादा, आप तो रोज बोलते हैं, मैं कभी-कभार बोलता हूं।

SHRI E. AHAMED (MANJERI) : Sir, the hon. Speaker has the right to refer the matter to the Privileges Committee without consulting any authority or even the House. The hon. Speaker can take a decision. The hon. Speaker is competent enough to refer the matter to the Privilege Committee.

MR. SPEAKER: Hon. Members, I will have a meeting in my chamber, then I will decide the matter.